उभय पक्ष के ...
मौका चाहते है। दि० 15-1-19 को पेश हो।

15-1-19
उभय पक्ष के अधि० उप० । जवाब को मौका चाहते है। दि० 4-2-19 को पेश हो।

4-2-19
उभय पक्ष के अधि० उप० । जवाब पेश हुआ। वास्ते बहस दि० 25-2-19 को पेश हो।

25-2-19
उभय पक्ष के अधि० उप० । वादी प्रार्थी बहस को मौका चाहते है। दि० 5-3-19 को पेश हो।

5-3-19
उभय पक्ष के अधि० उप० । बहस सुनी गयी वास्ते आदेश दि० 13-3-19 को पेश हो।

13-3-19
उभय पक्ष के अधि० उप० । प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से टंकित कराया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रा० पत्र की तरह मुताबिक होकर दाखिल रिकार्ड हो।

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ-बास (अलवर)

अध्यासित द्वारा :- श्री सुरेन्द्र प्रशाद आर.ए.एस.

प्रा.पत्र सं0	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
68	16-8-18	13-3-19

उनवान

1- इस्माईल पुत्र बाज खां जाति मेव निवासी इच्छाका तहसील किशनगढ-बास जिला अलवर :- प्रार्थी

बनाम

1- दीनू
2- इमरत खां
3- खूबी
4- जाकिर हुसैन पुत्रान आसबखां जाति मेव
5- कमरूद्दीन
6- रूजदार
7- आमीन उर्फ आसीन
8- रहमान
9- हसन मोहम्मद पुत्रान जैन खां जाति मेव निवासीयान इच्छाका तहसील किशनगढ-बास जिला अलवर ।

:-अप्रार्थीगण

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 एल.आर.एक्ट. बाबत कराये जाने पत्थरगढी मुताबिक पैमाई दिनांक 9-7-18

उपस्थिति:- 1- श्री रामावतार कपूर एड. प्रार्थी की ओर से ।
2- श्री तैयब खां एड.अप्रार्थीगण की ओर से ।

:: निर्णय ::

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं:- प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 एल.आर.एक्ट. पेश कर निवेदन किया कि आ.ख.नं.750/0.25 वाके ग्राम इच्छाका तहसील कि.बास मिन प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है। जिस प्रार्थी काबिज काश्त है । जिस आराजी के पूर्वी डोल की ओर आ.ख.नं.754 तथा उक्त आ.ख.नं.750 की पूर्वी डोल से लगती हुई अप्रार्थीगण की आ.ख.नं.749 है। ख.नं.749 अप्रार्थी सं.1 लगा.4 का व ख.नं.754 अप्रार्थी सं.5लगा.9 का है।

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ-बास (अलवर)

--2--

Scanned by CamScanner

प्रार्थी की भूमि आ. ख. नं. 750/0. 25 के तरफ पूर्वी डोल पर अप्रार्थीगण ने एक एक गठ्ठा भूमि दबाकर अपनी उपरोक्त आराजीयात में मिला कर नाजायज कब्जा करने की नियत से डोल को तोड रहे हैं जिस पर मिन प्रार्थी ने दिनांक 9-7-18 को आ. ख. नं. 750 वो इसके आस पास की आराजीयात की पैमाईश कराई। पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 9-7-18 की नकल पेश है।

अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से पेश कर निवेदन है कि आराजी ख. नं. 750/0. 25 वाके ग्राम इच्छाका तहसील किशनगढ-बास की पैमाईश दिनांक 9-7-18 के अनुसार पत्थर गढी कराई जाकर प्रार्थी का रकबा ख. नं. 750/0. 25 की नपत कर डोल कायम कराई जावे एवं ख. नं. 1011 व 800, 804 के मध्य डोल पर पुख्ता पत्थर बढी कराऐ जाने की आज्ञा प्रदान की जावे। खर्चा मुकदमा प्रार्थी को अप्रार्थीगण से दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुये जबाब पेश किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत है स्वीकार नहीं है हम अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार डोल नहीं तोडी जा रही है। प्रार्थी द्वारा आराजी की पैमाईश बाला बाला कराई हो तो हमें जानकारी नहीं है। यदि प्रार्थी आराजी की पैमाईश करवाना चाहता है तो हम हमारी मौजूदगी में पैमाईश कराने के लिए तैयार है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जबाब प्रस्तुत होने के पश्चात् उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुये बताया कि मेरे खेत ख. नं. 750 से लगता हुवा खेत ख. नं. 749 व 754 अप्रार्थीगण का है अप्रार्थीगण ने मेरा रकबा दबा रखा है पटवारी हल्का की पैमाईश रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लखित है कि अप्रार्थीगण द्वारा मेरा रकबा दबाया हुवा है पैमाई रिपोर्ट दिनांक 9-7-18 के अनुसार पत्थरगढी कराई जावे। सीमा ज्ञान कराया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थी के खेत से लगता हुवा अप्रार्थीगण का खेत ख. नं. 749 व 754 हैं। प्रार्थी के नम्बर से मेरे लगते हुये नम्बरान को मुस्तकिल बिन्दु से लेकर सीमाज्ञान करवाया जावे तथा मेरा रकबा पूर्ति भी करवाया जावे। मुस्तकिल बिन्दु कायम कर सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करावें। प्रार्थी ने हमारी गैर मौजूदगी में पैमाईश कराई है हमारी मौजूदगी में पैमाई कराई जावे। हमारा भी रकबा पूरा कराया जावे। वकील प्रार्थी ने आपत्ति उठाई की इनका रकबा कम है तो पृथक से वाद लावें।

--3-

Scanned by CamScanner

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। संलग्न पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 9-7-18 के अनुसार आ.ख. नं. 750 की पूर्वी डोल एक गढ्टा ख. नं. 754 में तथा एक गढ्टा ख. नं. 749 मिला होना बताया गया है। इस संदर्भ में अप्रार्थीगण की जबाबदेही है कि प्रथम तो पैमाई हमारी गैरमौजूदगी में कीगई है और जो पैमाई की गई है वह मुस्तकिल बिन्दु कायम कर नहीं कीगई है हमारा रकबा कम होता है हमारे खेतों से मुस्तकिल बिन्दु कायम कर हमारी मौजूदगी में पैमाई कराई जाकर सीमा ज्ञान कराया जाकर ही पत्थर गढी कराई जावे।

इस संदर्भ में हमारा अभिमत है कि पक्षकारान की उपस्थिति में मुस्तकिल बिन्दु कायम कर पैमाईश कराई जाकर ही पत्थर गढी कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैं कि:-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ-बास को आदेश दिये जाते हैं कि वो आ.ख. नं. 750, 754, 749 वाके ग्राम इच्छाका तहसील किशनगढ-बास की पैमाईश मुस्तकिल बिन्दु कायम कर पक्षकरान की उपस्थिति में पैमाईश करावे तथा बाद पैमाईश नियमानुसार पत्थर गढी करावें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढ-बास को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनागया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ-बास{अलवर}

Scanned by CamScanner